न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्जवल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 76/2020 (Bank Case)
GCMS No. 2020/00204

टाटा केपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड ,एल/जी, दी गुमान फर्स्ट, आम्रपाली सर्किल वैशाली नगर जयपुर। राजस्थान जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री शरद पुरोहित। **– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

1. वहीद मोहम्मद खान
   पता– प्लॉट नम्बर 2/9, चमन होटल के पीछे, नयापुरा कोटा राजस्थान
   दुसरा पता– प्लॉट नम्बर 389, आटा चक्की के पीछे की गली नयापुरा कोटा, राजस्थान
2. खशबू खान
   पता– प्लॉट नम्बर 2/9, चमन होटल के पीछे, नयापुरा कोटा राजस्थान
   दुसरा पता– प्लॉट नम्बर 389, आटा चक्की के पीछे की गली नयापुरा कोटा, राजस्थान

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अतुल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 22.12.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है टाटा केपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड ,एल/जी, दी गुमान फर्स्ट, आम्रपाली सर्किल वैशाली नगर जयपुर में स्थित है से अप्रार्थी ने दिनांक 28.06.2018 को रूपये 17,71,849/–(अक्षरेः रूपये सत्रह लाख,इकत्तर हजार आठ सौ उन्नचास मात्र) का ऋण लिया था अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नम्बर 2/9 ,चमन होटल के पीछे नयापुरा जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में–खाली जमीन, पश्चिम में– आम रास्ता, उत्तर में– हबीबुल्ला खान का घर, दक्षिण में– आम रास्ता स्थित है** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 03.11.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 18,49,641/– (अक्षरे रूपये अठारह लाख, उन्नचास हजार, छः सौ इकतालीस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.12.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 31.12.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 18.01.2020 को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 18.01.2020 में प्रकाशन

भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को को दिनांक 31.12.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 18.01.2020को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 18.01.2020में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत को दिनांक 31.12.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 18.01.2020को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 18.01.2020 में प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नम्बर 2/9 ,चमन होटल के पीछे नयापुरा जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में–खाली जमीन, पश्चिम में– आम रास्ता, उत्तर में– हबीबुल्ला खान का घर, दक्षिण में– आम रास्ता स्थित है** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 22.12.2020 को सुनाया गया ।

(उज्जवल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)